

हम अपने कर्मचारियों को महत्व देते हैं  
हम अपने पेंशनभोगियों की चिंता करते हैं  
कार्यालय प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा, दिल्ली क्षेत्र  
द्वारा दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए

पेंशन अदालत का आयोजन

**28.12.2018 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे**

जिन दूरसंचार पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान आदेश (PPO) इस कार्यालय द्वारा निर्गत/अधिकृत अथवा जारी किया गया है तथा जो दिल्ली क्षेत्र में स्थित बैंक/डाकघर/प्रधान लेखा कार्यालय आदि से पेंशन ले रहे हैं, वे अपनी पेंशन संबंधी शिकायतें, यदि कोई हो तो, लेखाधिकारी, पेंशन कार्यालय प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005 के पास निर्धारित प्रपत्र में विवरण भरकर 14.12.2018 तक आवश्यक रूप से भेज दें।

निर्धारित प्रपत्र में पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम, पदनाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन भुगतान आदेश संख्या (PPO No.) अंतिम सेवा कार्यालय, पता, पेंशन, सवितरण अधिकारी जहां से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उस बैंक/डाकघर अथवा कार्यालय का संपर्क नंबर आदि अवश्य दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली शिकायतों पर इस पेंशन अदालत में विचार नहीं किया जाएगा किन्तु उन शिकायतों को सामान्य की तरह देखा जाएगा।

निर्धारित संलग्न प्रपत्र पूर्ण विवरण सहित दो प्रतियों में अग्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। जिन शिकायतों का निवारण दिनांक 27.12.2018 तक हो जाता है उन पेंशनभोगियों को यथोचित सूचना भेज दी जाएगी। फिर उन्हें इस अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत में मूलतः उन शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा जो काफी समय से लम्बित हैं।

जिन व्यक्तियों को इस कार्यालय द्वारा भुगतान आदेश (PPO) जारी नहीं किया गया है, वो कृपया इस अदालत में आने का कष्ट ना करें।

जो विषय नीतिगत मामलों से संबंधित हैं तथा इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उन मामलों में इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट [www.dot.gov.in](http://www.dot.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस कार्यालय के लेखाधिकारी (पेंशन) से भी प्राप्त किया जा सकता है।